न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री/टीए//1878/2003/भरतपुर

1– सिरदार पुत्र गबदू
2– सूरजमल पुत्र सुबराती
सभी जाति मेव निवासी ग्राम लेवड़ा तहसील कामां जिला भरतपुर।

अपीलाण्ट्स

बनाम

1–घीसा पुत्र चुन्दल जाति मेव निवासी ग्राम लेवड़ा तहसील कामां जिला भरतपुर।

रेस्पोडेण्ट

खण्डपीठ
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य
डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के.पारीक, अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री जुगल किशोर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 21–4–2023

हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–1–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी द्वारा अपीलाण्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एक दावा अन्तर्गत धारा 188 मय धारा 212 के प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम लेवडा तहसील कामां में खसरा नंबर 738/0.23 एयर स्थित है । यह आराजी पूर्व में 0.46 एयर का रकबा था, जिसका पक्षकारान ने विभाजन कर 0.23 पूरब की ओर रेस्पोडेण्ट/वादी एवं 0.23 एयर अपीलाण्ट/प्रतिवादी के हिस्से का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज है एवं उसी अनुसार खातेदार काश्तकार काबिज है किन्तु रेस्पोडेण्ट की आराजी को जबरन कब्जा कर हड़पना चाहता है एवं दिनांक 2–1–2000 को धमकी देने पर उसके द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया । अतः अपीलाण्ट/प्रतिवादी

को पाबंद किया जावे कि वे आराजी खसरा नंबर 738/0.23 एयर रेस्पोडेण्ट की कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत एवं बेदखल न करें किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे । उक्त दावे का जबावदावा मय काउन्टर क्लेम के अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेण्ट व अपीलाण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं उनके मध्य आराजी का मनबट हुआ था एवं उसी अनुसार काबिज है । आराजी खसरा नंबर 738 शुरू से ही काला व काला के वारिसान के हिस्से में रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में कर्मचारियों की भूल से 1/2 हिस्सा वादी के नाम चल रहा है । इसलिए मुताबिक मनबट अपीलाण्ट इनका नाम कलमजन कराकर अपने नाम कराने का अधिकारी है। अतः प्रतिवादी के नाम खसरा नंबर 738 रकबा 0.46 आराजी राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दिए जाने के आदेश दिए जावें । उक्त काउन्टर क्लेम का जबाव रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 738 रकबा 0.46 बुर्जुर्गो के समय से ही 1/2–1/2 हिस्से में रेस्पोडेण्ट व अपीलाण्ट के मध्य हिस्से में आई है । अपीलाण्ट/प्रतिवादी का पूरी आराजी पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा । करीब 60–70 साल पहले ही बंटवारा हो चुका था। तभी से विवादित आराजी रेस्पोडेण्ट के हिस्से में आई । अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा अपने जबावदावे में यह नहीं बताया कि उनका मनबट कब हुआ और गलत इन्द्राज के बाबत उनके द्वारा कार्यवाही क्यों नहीं की गई । इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट द्वारा अन्य पक्षकार को वाद में पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिए काउन्टर क्लेम इसी आधार पर खारिज योग्य है। अतः अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम खारिज कर दावा डिक्री किया जावे।

दावे व जबावदावे/काउन्टर क्लेम के आधार पर तीन तनकियात कायम की गई जो इस प्रकार है–

1– आया वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ।

2– आया आराजी मुतदाविया 1/2 हिस्से पर वादी का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे।

3– आया प्रतिवादीगण वादी को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने का अधिकारी है ।

4– दादरसी ।

विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17–6–2002 से रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद डिक्री कर अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट के कब्जे काश्त

काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करने हेतु पाबंद किया एवं प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया । उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 22–1–2003 से खारिज कर दी । प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 22–1–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी ।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत है । उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी का सही विवेचन नहीं कर साक्ष्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर दावा दायरी के दिन रेस्पोडेण्ट का कब्जा नहीं होना मानते हुए एवं भूमि काबिल काश्त नहीं होते हुए भी अपीलाण्ट का कब्जा होते हुए भी रेस्पोडेण्ट का दावा डिक्री करने में त्रुटि कारित की है । रेस्पोडेण्ट व उसके पिता का विवादित भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा। रेस्पोडेण्ट के नाम इन्द्राज गलत है । विवादित भूमि का आज तक बंटवारा नहीं हुआ एवं भूमि पैतृक है। इसलिए बिना बंटवारा के वादी का दावा डिक्री करने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी में प्रावधित प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है । अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किए जावें। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.बी.जे. 2021 पृष्ठ 187, आर.आर.टी. 2008(2) पृष्ठ 1227, आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ 667, आ.बी.जे. 2005 पृष्ठ 376, आर. आर.डी. 2007 पृष्ठ 737, आर.बी.जे. 1997 पृष्ठ 149, ए.आई.आर. 2003 एससी पृष्ठ 351, आर.आर.टी. 2012(2) पृष्ठ 1293 न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किए ।

5– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विवादित भूमि पारिवारिक समझौते के अनुसार उन्हें प्राप्त हुई है एवं बंटवारे के आधार पर ही उनका हिस्सा खसरा नंबर 738 रकबा 0.23 एयर पर है एवं उसी अनुसार वे उस पर काबिज है, जिस पर उन्होंने गोबर गैस प्लाण्ट लगा रखा है तथा कृषि सामान रखने के लिए चबूतरा आदि बने हुए हैं । रेस्पोडेण्ट का इस भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वह

अपने हिस्से की जमीन बेचान कर चुका है । पारिवारिक बंटवारे का उल्लेख उसने अपने काउन्टर क्लेम में भी किया है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बंटवारा नहीं हुआ है । बंटवारे के आधार पर ही रेस्पोडेण्ट के नाम यह भूमि का अंकन राजस्व रिकार्ड में हुआ है जिसके संबंध में उसके द्वारा नकल जमाबन्दी व अन्य साक्ष्य आदि प्रस्तुत की थी । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित निर्णय है जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अत अपील खारिज की जावे ।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया ।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि यह निर्विवादित है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के सदस्य हैं एवं प्रदर्श–डी–2 जमाबन्दी मुफस्सिल मौजा लेवडा रियासत भरतपुर में विवादित खसरा नंबर 738 रकबा 0.46 एयर पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट पिसरान मदारा बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज है। इसके बाद जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 में रेस्पोडेण्ट घीसा वल्द घुन्दल कौम मेव सा0 देह खातेदार का नाम खसरा नंबर 738 रकबा 0.23 एयर दर्ज है । इस प्रकार रेस्पोडेण्ट एक रेकार्डेड खातेदार दर्ज है जिसके संबंध में कब्जा के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है । इसके साथ ही इसी खसरा नंबरान पर न्यायालय तहसीलदार, कामां द्वारा कृषि वर्ष 2047 में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोग करने के कारण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90–ए के तहत नोटिस भी दिया गया है। इसलिए अपीलाण्ट का यह कथन नहीं माना जा सकता है कि रेस्पोडेण्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही किया जाना रेस्पोडेण्ट का कब्जा प्रमाणित करता है । इसलिए अपीलाण्ट द्वारा कब्जे के प्रमाण के संबधं में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं । अपीलाण्ट द्वारा अपने काउन्टर क्लेम में यह कथन किया है कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के बीच मनबट हुए थे जो शुरू से अब तक मौके पर कब्जे में है एवं उनके अनुसार खसरा नंबर 738 पर उसका कब्जा है । लेकिन इस संबंध में उसके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उक्त सम्पूर्ण रकबा उसके खाते में मनबट के बाद किस प्रकार आया । जबकि इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट द्वारा मनबट के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 738 रकबा 0.23 एयर पर अपीलाण्ट की दखलादांजी करने से पाबंद

करने हेतु ही वाद प्रस्तुत किया था न कि सम्पूर्ण खसरा नंबर 738 का । रेस्पोडेण्ट द्वारा जमाबन्दी संवत 2021 से 2024 प्रस्तुत की है जिसके अनुसार वह खसरा नंबर 738 मीन रकबा 0.23 पर रेकार्डेड खातेदार दर्ज है। इस प्रकार प्रदर्श–8 जमाबन्दी संवत 2054–57 से स्पष्ट है कि आराजी खसरा संख्या 738 रकबा 0.23 हेक्टेयर का वादी रिकार्डेड खातेदार है। अतः अपीलाण्ट का यह कथन तथा इसके समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत कि वे सहखातेदार है, साबित नहीं होने से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत यहाँ सहायक नहीं है। जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 में भी रेस्पोडेण्ट धीसा खातेदार राहिन बीडीबीशाखा कामां मुर्तहिन का नाम खसरा नंबर 738 रकबा 0.23 किस्म चाही पर दर्ज है एवं अपीलाण्ट सिरदार पुत्र गवदू निस्फ सूरजमल पुत्र सुबराती निस्त कौम मेव सा0देह खातेदार का नाम खसरा नंबर 738 रकबा 0.23 किस्म चाही दर्ज है।विचारण न्यायालय ने दावे व जबावदावे व काउन्टर क्लेम व व काउन्टर क्लेम के जबाव के आधार पर तनकियात कायम कर सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद दावा डिक्री कर अपीलाण्ट का काउन्टर क्लेम खारिज कर अपीलाण्ट को पाबंद किया है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा बहाल रखा गया है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं एवं इन निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है न ही विधि का कोई प्रश्न ही अन्तर्वलित है, जिससे कि द्वितीय अपील के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । जैसा कि आर.बी.जे. 2018 पृष्ठ 215 उनवानी श्री चारभुजा जी बनाम हीरादास पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि

‘‘जब अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है, तब द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है। जो अभिवाक् प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया उसे द्वितीय अपील के स्तर पर नहीं उठाया जा सकता’’।

इसी प्रकार आर.आर.डी. 2007 पृष्ठ 587 पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट पीटीशन सं0 1231/1998 उनवानी गणेश बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में भी यही मत अभिनिर्धारित किया है कि –

Held, the concurrent findings of fact arrived at by the two courts below could not have been interfered with in second appeal by Board of Revenue.

ए.आई.आर. 2022 पृष्ठ 24 पर यह अभिमत निर्धारित किया है कि–

Second appeal-Concurrent findings of law and facts- In normal circumstances High Court, while exercising powers is restrained from re-appreciating evidence available on record- concurrent findings of fact and law recorded by subordinate Courts cannot be interfered with unless same are found to be perverse to extent that no judicial person could ever record such findings.

अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक एवं विवेचन के फलस्वरूप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के तथ्य हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से यहाँ चस्पा नहीं होते हैं ।

8– उक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाते हैं । प्रार्थना–पत्र, कोई लम्बित हो तो, तदानुसार निस्तारित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य